



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2011/वैशाख 19, 1933

No. 239]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2011/VAISAKHA 19, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2011

सा.का.नि. 367(अ).—मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) संशोधन नियम, 2010 के कतिपय नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 885(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 4 नवम्बर, 2010 को उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी; जनता को 10 नवम्बर, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 88 की उप-धारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रायोग करते हुए, मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) संशोधन नियम, 2011 है।

2. ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. मोटर यान (पर्यटक परिवहन आपरेटरों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 के नियम 16 में "नियम 115 के उप-नियम (14) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम III)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "नियम 115 के उप-नियम (15) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम IV)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11011/1/2008-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल नियम सा.का.नि. 541(अ), तारीख 10 अगस्त, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 58(अ), तारीख 30 जनवरी, 2009 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT  
AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2011

G.S.R. 367(E).—Whereas the draft Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Amendment Rules, 2010 were published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 885(E), dated the 4th November, 2010, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th November, 2010, inviting

